रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092024-257151
CG-DL-E-13092024-257151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946
No. 242] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. एस-16012/01/2015-एलडब्ल्यू(बी).—ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 1 से 6 में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में दिनांक 10.03.1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 162 (ई) के अनुसार ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत रेल व्हील फैक्ट्री परियोजनाओं को छूट की मंज़ूरी देने पर विचार करने के लिए एतद्वारा समिति का गठन करता है।

2. समिति का संघटन निम्नलिखित होंगे -

1. श्री सुरेंद्र कुमार पांडे -अध्यक्ष

भारतीय मजदूर संघ,

क्वार्टर। 107 पो-विश्रामपुर कोलियारी,

जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

2. श्री शिव कुमार यादव -सदस्य

अध्यक्ष, कोयला श्रमिक सभा,

डब्ल्यूसीएल मुख्यालय, सिविल लाइन्स,

कोल एस्टेट नागपुर-440018।

3. कार्यकारी निदेशक -सदस्य

सिविल इंजीनियरिंग, (सामान्य),

रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड),

कमरा नंबर 127, रेल भवन,

नई दिल्ली-110001।

4. निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) -सदस्य

कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर संख्या 04,

एमएआर, प्लॉट संख्या- एएफ-III, एक्शन एरिया - 1ए,

न्यू टाउन, राजारहाट,

कोलकाता - 700163.

5. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य संयोजक

बैंगलोर

6. श्री अमित कुमार, अनुभाग अधिकारी, -सदस्य समन्वयक

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली-110001

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगेः

"रेल व्हील फैक्ट्री अर्थात (i) स्टील स्क्रैप की ऑक्सी कटिंग (ii) सामग्री की हैंडलिंग (iii) व्हील सेट की पेंटिंग, पैकिंग और लोडिंग (iv) खोपड़ी की ऑक्सी कटिंग (v) फैक्ट्री परिसर का रखरखाव (vi) इलेक्ट्रिक फर्नेस और लेडल्स की रिलाइनिंग से संबंधित सभी पहलुओं में अनुबंध श्रम प्रणाली के कार्यों का अध्ययन करना तथा श्रम मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आत 162 दिनांक 10.03.1999 की प्रयोज्यता से अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के तहत छुट प्राप्त करने या न करने की उपयुक्त सिफारिश करने के संबंध में उक्त स्थापना द्वारा अधिसूचना को अनुसूची में निर्दिष्ट कार्य में अनुबंध श्रम के कुछ नियोजन को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं।"

4. समिति का मुख्यालय बैंगलोर में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट दो माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

जय भगवान, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract LabourBoard)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th September, 2024

No. S-16012/01/2015-L.W(B).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to Rail Wheel Factory, Yelahanka, Bangalore under section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 against Notification No. 162(E) dated 10.03.1999 in respect of employment of Contract Labour in the work schedule to the said Notification.

2. The Composition of the Committee will be as under:-

1. Shri Surendra Kumar Pandey -Chairman
   Bharatiya Mazdoor Sangh,
   Qutr. 107 Po-Vishrampur Koliyari,
   District- Surajpur, Chhatisgarh.

2. Shri Shiv Kumar Yadav -Mamber
   President,
   Koyala Shramik Sabha,
   WCL Headquarter, Civil Lines,
   Coal Estate Nagpur-440018.

3. The Executive Director -Mamber
   Civil Engineering, (General),
   Ministry of Railways, (Railway Board),
   Room No. 127, Rail Bhawan,
   New Delhi-110001.

4. The Director (Personnel and Industrial Relations) -Mamber
   Coal India Limited, Coal Bhawan, Premise No. 04,
   MAR, Plot No.- AF-III, Action Area – 1A,
   New Town, Rajarhat,
   Kolkata – 700163.

5. The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) -Member Convener
   Bangalore

6. Shri Amit Kumar, Section Officer, -Member Coordinator
   Ministry of Labour and Employment,
   Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
   New Delhi-110001

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study whether there is justification for grant of exemption to Rail Wheel Factory in respect to the activities namely (i) Oxy cutting of steel scrap (ii) Handling of materials (iii) Painting, Packing and Loading of Wheel sets (iv) Oxy cutting of skull (v) Maintenance of factory premises (vi) Relining of Electric Are Furnace and ladles to make suitable recommendation whether or not exemption under section 31 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 162 (E) dated 10.03.1999, in respect of employment of contract labour in the work specified in the schedule to the notification, be granted to the said establishment."

4. The Headquarters of the Committee will be at Bangalore. The Committee will submit its report within two months.

JAI BHAGWAN, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.13 22:11:48 +05'30'